न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 11/2020

रजिस्ट्रेशन नं. :2020/0007

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	श्री आशिष व्यास पिता नन्दलाल व्यास जाति ब्राहम्ण, मालिक विक्रेता– मैसर्स व्यास बेकरी कुशलबाग के सामने बॉसवाडा जिला बॉसवाडा। स्थायी पता – मकान नं. 724, व्यास निवास, हीराबाग कोलोनी बॉसवाडा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 12–02–2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 30–12–2019 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 27–07–2019 को 02.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स व्यास बेकरी कुशलबाग के सामने बॉसवाडा जिला बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री आशिष व्यास पिता नन्दलाल व्यास उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर Primum bread (Vyas Bakery) के 350 ग्राम के 20 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को विक्रय हेतु रखे पाये। इसमे मिस ब्राण्ड, अनसेफ एवं सब स्टेण्डर्ड का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त Primum bread (Vyas Bakery) के 350 ग्राम वाल 4 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में जॉच हेतु खरीदी तथा इनकी कीमत 80 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन– 2019 दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। जॉच हेतु खरीदशुदा उक्त चारो पैकेट को खोलकर प्लास्टीक के चार साफ, सुखे एवं खाली जारो में भरकर प्रत्येक जार में 28 बुन्द फार्मलीन की डालकर, जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाया।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया Primum bread (Vyas Bakery) Conravention of Regulation 2.2.2(5)(i),2.2.2(3),2.2.2(4),2.2.2(6),2.2.2(8),2.2.2(9),2.2.2(10) of food safety & Standards (packaging &Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) उल्लंघन किया है।

प्रकरण दिनांक 10–01–2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 27–01–2020 को अभियुक्त श्री आशिष व्यास पिता नन्दलाल व्यास के अभिभाषक द्वारा अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया गया एवं वास्ते जवाब समय चाहा गया। जवाब प्रस्तुत करने दिनांक 06.02.2020 तक समय दिया। पुनः जवाब पेश करने समय चाहने पर दिनांक 12.02.2020 तक अवसर दिया गया। किन्तु अभियुक्त के अभिभाषक/अभियुक्त द्वारा दिनांक 12.02.2020 को जवाब पेश नही किया एवं अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 10–04–2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया Primum bread (Vyas Bakery) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त/अभिभाषक को जवाब प्रस्तुत करने पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही करने एवं दिनांक 12.02.2020 को अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड पाया गया Primum bread (Vyas Bakery) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत् आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर जाकर श्री आशिष व्यास पिता नन्दलाल व्यास जाति ब्राहम्ण, मालिक विक्रेता– मैसर्स व्यास बेकरी कुशलबाग के सामने बॉसवाडा जिला बॉसवाडा। स्थायी पता – मकान नं. 724, व्यास निवास, हीराबाग कोलोनी बॉसवाडा को रुपया 10000/– (दस हजार), के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 12–02–2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।

नरेश (signature)

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.02.17 10:53:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: